निविदा प्रपत्र

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

कम्प्यूटर, प्रिन्टर, साफ्टवेयर, वायरस, हब/स्विच एवं लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन आदि का वार्षिक रख–रखाव की शर्ते
वर्ष 2008–2009

1. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा।
2. संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास , विन्ध्याचल भवन, भेापाल के अधीन स्थापित कम्प्यूटर, प्रिन्टर, साफ्टवेयर वायरस, हब/स्विच एवं लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन आदि के वार्षिक रख–रखाव हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।
3. निविदाकर्त्ता रू.100/– (रूपये एक सौ मात्र) की राशि चालान द्वारा मांग संख्या 0401–कृषि कार्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर और चालान की प्रति प्रस्तुत कर निविदा प्रपत्र, संचालनालय,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विन्ध्याचल भवन, चौथी मंजिल, आई.टी. शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
4. निविदा प्रपत्र निर्धारित दिनांक 22.01.2009 तक कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकेगा। निर्धारित दिनांक 22.01.2009 के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 22.01.2009 को दोपहर बाद 4.00 बजे क्रय समिति की बैठक में उपस्थित निविदाकर्त्ताओं के समक्ष खोली जावेगी।
5. वर्ष 2008–09 के लिये कम्प्यूटर, प्रिन्टर, साफ्टवेयर, वायरस, हब/स्विच एवं लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन आदि के वार्षिक रख–रखाव हेतु निविदाकर्त्ता की योग्यता, कार्यक्षमता एवं अनुभव आदि के मूल्यांकन के संबंध में जानकारी सील बंद लिफाफा–1 में प्रस्तुत की जाना होगी। सील बंद लिफाफा–1 के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होगा लिफाफा–1 एवं '' वार्षिक रख–रखाव कृषि, तकनीकी भाग'' । लिफाफा–2 में आइटमों की दरें एवं राशि का विवरण रहेगा। यदि निविदाकर्त्ता दरें एवं राशि की जानकारी लिफाफा–1 में प्रस्तुत करेंगें तो संबंधित संस्था की निविदा अमान्य समझी जावेगी अर्थात लिफाफा 1 एवं 2 अलग –अलग रहेंगे।
6. विभाग से प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र में ही दरें स्याही ,जाटर पेन या टाईप से भरी जावे । किसी भी दशा में पेन्सिल से अंकित दरें मान्य नहीं की जावेगी। निविदा पर ऊपरी लेखन (Over writing) या सफेदा पर लेखन नहीं करें, तथा सुधार कर लिखी गई दरों की जगहों पर निविदाकर्ता हस्ताक्षर अवश्य करें, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
7. शब्दों एवं अंको में लिखी हुई दरों में अंतर होने पर शब्दों में लिखी हुई दर को मान्य किया जावेगा।
8. संस्था का, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं/कम्प्यूटर रख–रखाव का, पंजीयन प्रमाण–पत्र (शासकीय/अशासकीय अण्डरटेकिंग संगठन का) होना चाहिए । सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जावे । बिन्दुवार जानकारी निविदा प्रपत्र – प्रथम भाग में दी जावे ।
9. निविदा कर्ता की संस्था को ''विगत तीन लगातार वर्षो'' में केन्द्र/राज्यशासन/Public sector/Govt.undertaking के प्रत्येक वर्ष ''तीन विभागों'' में किये गये कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री के वार्षिक रखरखाव का अनुभव होना चाहिए। अनुभव में Service provider/warranty period का रख–रखाव सम्मिलित नही माना जावेगा। निविदाकर्त्ता

राजंपत्रित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जावे। बिन्दुवार जानकारी निविदा प्रपत्र – प्रथम भाग में दी जावे।

10. संस्था का गणना वर्ष 2007–08 का Income Tax return with PAN No. भरा होना चाहिये। सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें । बिन्दुवार जानकारी निविदा प्रपत्र – प्रथम भाग में दी जावे।

11. संस्था का Sale Tax & Service Tax Registration होना चाहिये । Sale Tax & Service Tax No. दिया जावे तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किये जावें। बिन्दुवार जानकारी निविदा प्रपत्र – प्रथम भाग में दी जावे।

12. प्रत्येक निविदा के साथ में रू.25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की धरोहर/अमानत राशि का " बैंक ड्राफ्ट " संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। धरोहर/अमानत राशि के अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

13. सर्वप्रथम निविदा और उसमें शर्तों के अनुरूप चाहे गये प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार लिफाफा–1 खोला जावेगा। निविदाकर्त्ता की संस्था का मूल्यांकन क्रय समिति द्वारा किया जावेगा । जिन निविदाकर्त्ता की निविदा में शर्तों के अनुसार चाहे गये दस्तावेज प्राप्त नहीं होगें उनका वित्तीय मूल्यांकन का लिफाफा–2 वापिस किया जावेगा और उनकी निविदा अमान्य समझी जावेगी।

14. जिन निविदाकर्त्ताओं की निविदायें प्रथम भाग की शर्तों के अनुरूप रहेंगी। उनका वित्तीय मूल्यांकन का लिफाफा–2 खोला जावेगा और शर्तों के अनुरूप वार्षिक रख–रखाव की कार्यवाही की जावेगी।

15. किसी भी निविदा को मान्य करने/अमान्य करने के अधिकार, संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. के पास सुरक्षित रहेगा। दस्तावेजों की प्रमाणिकता, पर्याप्तता के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय/विवाद की स्थिति में संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास का निर्णय अंतिम होगा। वार्षिक रख रखाव की अवधि अनुबंध होने की दिनांक से एक वर्ष की रहेगी।

16. संचालक कृषि न्यूनतम अथवा किसी अन्य दर को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगें। उन्हें अधिकार होगा कि वह किसी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं या निविदा को दो या अधिक निविदादाताओं में विभाजित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिये वे कोई कारण बताने के लिये संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास बाध्य नहीं होंगें ।

17. किसी भी निविदा को स्वीकृत पूर्व या स्वीकृत पश्चात् अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार संचालक कृषि के पास सुरक्षित रहेगा।

18. यदि निविदाकर्ता द्वारा अपनी निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत के पूर्व वापिस ली जाती है, तो निविदा के साथ अमानत/परफारमेन्स राशि राजसात की जावेगी।

19. निविदा स्वीकार करने के उपरांत रखरखाव करने में असमर्थता व्यक्त करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात की जावेगी तथा न्यूनतम दूसरे क्रम वाले निविदाकर्त्ता से कार्य कराया जावेगा। इसमें जो भी शासकीय हानि होगी उसकी वसूली संबंधित निविदाकर्त्ता से भू–राजस्व संहिता के तहत की जावेगी।

20. निविदा स्वीकार किये जाने की स्थिति में रू.50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) की राष्ट्रीयकृत बैंक की **"बैंक गारंटी"** अनुबंध दिनांक से 13 माह की अवधि हेतु performance गारंटी के रूप में संबंधित संस्था के निविदाकर्त्ता को संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के पक्ष में जमा करनी होगी। बैंक गारंटी जमा करने पर धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट

वापिस किया जावेगा। शर्तों व अनुबंध के अनुरूप रख–रखाव की गुणवत्ता संतोषजनक पूर्ण होने पर ही performance गारंटी राशि वापिस की जा सकेगी । रख–रखाव की शर्तों एवं अनुबंध का उल्लंघन करने की दशा में performance गांरटी राशि जब्त/राजसात की जावेगी। जब्त/राजसात राशि का अधिकार संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को रहेगा।

21. जिस निविदाकर्ता की दरें स्वीकृत की जावेंगी उनके एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आई.टी. शाखा के प्रभारी के मध्य 100/–(रू. सौ मात्र) के Non judicial stamp (संबंधित संस्था को लाना होगा) पेपर पर अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध की शर्तें विभाग की रहेगी। अनुबंध की अवधि अनुबंध होने के दिनांक से एक वर्ष की रहेगी। अनुबंध के साथ आइटमो की अंतिम सूची रहेगी जिसका रखरखाव किया जाना होगा। रखरखाव की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, का रहेगा तथा रखरखाव के संबंध में संचालक कृषि का निर्णय अंतिम रहेगा।

22. अमान्य/अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर/अमानत राशि एक सप्ताह में Release कर दी जावेगी।

23. यह अनुबन्ध वृहत रहेगा। जिसमें कन्ज्यूमेवेल्स को छोडकर अन्य समस्त पेरीफेरल के टूट फूट एवं फाल्ट वगैरा सम्मिलित रहेगा।

24. संचालनालय के अधीन समस्त कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री का वार्षिक रख रखाव संस्था द्वारा किया जाना होगा।

25. कम्प्यूटर, प्रिन्टर, साफ्टवेयर, वायरस, हब /स्विच एवं लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन आदि का वार्षिक रख–रखाव आदि में आयी खराबी के संबंध में विभाग की आई.टी.शाखा में पंजी संधारित होगी जिसमें कम्पलेंट एवं सुधार का विवरण रहेगा । प्रतिदिन संस्था के इंजीनियर को पूरे समय (कार्यालयीन समय में) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास में उपस्थित रहना आवश्यक होगा और पंजी में दर्ज की गई शिकायत का 24 घंटे के अंदर निराकरण करना आवश्यक होगा, जिसकी जानकारी पंजी में दर्ज करना होगी एवं संबंधित से इस आशय की पुष्टि कराना आवश्यक होगा कि फाल्ट दूर कर दिया गया है। यदि निराकरण 24 घंटों में नहीं होता है, तो उसके स्थान पर Stand-By की व्यवस्था करना होगी । संस्था द्वारा खराब आइटम की स्टेण्ड बाई व्यवस्था नहीं की जाती है, तो स्वीकृत दर का 5 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से राशि देयक राशि से कम की जावेगी। विशेष परिस्थिति को छोड़कर वार्षिक रखरखाव के आइटमों को संचालनालय में ही सुधार करना होगा।

26. यदि रख–रखाव का उपकरण संचालनालय से बाहर लेब में सुधार हेतु ले जाना आवश्यक है, तो काल रिपोर्ट पर खराबी के विवरण के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी तथा उपकरण की प्राप्ति रसीद संस्था के प्रतिनिधि को देना होगी तथा उपकरण के लिये किसी प्रकार की हानि का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।

27. अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के उद्यमियों/व्यवसायियों को वार्षिक रखरखाव की मात्रा/राशि का न्यूनतम 30 प्रतिशत रखरखाव उन्हे देने में प्राथमिकता दी जावेगी।

28. वार्षिक रखरखाव के कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने की स्थिति में रख–रखाव की राशि का भुगतान छः माह पूर्ण होने पर किया जावेगा और रख–रखाव हेतु कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

29. संस्था को प्रतिमाह नियमित सुरक्षा जाँच एवं सर्विसिंग कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी। नियमित सुरक्षा जाँच एवं सर्विसिंग नहीं होने पर अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से राशि का कटौत्रा देयक से किया जावेगा।

30. अनुबंध के अनुरूप रख–रखाव न करने और उपकरणों में किसी भी तरह की हानि होती है तो निविदाकर्त्ता को ही हानि की भरपाई करना होगी । यदि हानि की राशि परफारमेन्स राशि से कम है तो वह राशि देयक राशि से ली/समायोजित की जावेगी।

31. कोई भी वैधानिक कार्य हेतु प्रकरण भोपाल न्यायालय में दायर किया गया ही मान्य होगा।

32. अनुबंध के अनुरूप कार्य न करने या रख–रखाव न करने की स्थिति में वैधानिक शासकीय कार्यवाही की जावेगी । शासकीय कार्यवाही करने हेतु संचालक कृषि का निर्णय मान्य होगा।

33. यदि निविदाकर्त्ता/निविदाकर्त्ता संस्था को केन्द्र/राज्य शासन/ Public Sector /Government Undertaking आदि द्वारा ब्लेक लिस्ट/भविष्य में कार्य करने से निष्काषित किया गया हो, तो ऐसे निविदाकर्त्ता/निविदाकर्त्ता संस्था, निविदा प्रस्तुत न करें, अन्यथा उनकी अमानत /धरोहर राशि राजसात कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

संचालक कृषि
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

सहमति घोषणा पत्र

मैंने निविदा प्रपत्र में दी गई सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लीं हैं और मैं सभी शर्तों पर उक्त वार्षिक रख–रखाव करने के लिये सहमत हूँ । निविदा प्रपत्रों में दी गई शर्तों के अनुसार चाहे गये दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम होने पर निविदा को अमान्य किये जाने की शर्त मुझे स्वीकार है तथा इसके विरूद्ध मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जावेगा ।

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर ....
निविदाकर्त्ता का नाम ....
निविदाकर्त्ता की फर्म का नाम ....
निविदाकर्त्ता के पत्र व्यवहार का पता ....
...
...
E-mail Address ....
Telephone/Mobile No. ....